

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:

12th Floor, Shakti Bhawan Extension.

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/ कारपोरेट कार्यालय :

12वा तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या-4325/का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-04(20)/2000/वाल्सूम-11

दिनांक 17/11/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा विभागीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 40% कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित अवर अभियन्ता (वि०/याँ०) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी तथा स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थल	प्रोन्नति के उपरान्त पद	प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती कार्यालय/स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती इन्दु यादव	अवर अभियन्ता (वि०/याँ०)	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।
2	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पटेल	अवर अभियन्ता (वि०/याँ०)	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा, सोनभद्र।

- उपरोक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में निवेशित याचिका सं०-10021/2017, धनीराम सैनी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।
- उपरोक्त प्रोन्नत अभियन्ताओं को स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।
- उपर्युक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं को अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो तथा यदि कोई प्रक्रीण धनराशि/प्रत्याप्ति है, तो उसकी नियमानुसार कर्तौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन सेवा-पुस्तिका में कर दिया गया है।
- उपर्युक्त अभियन्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अवर अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हुए उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि प्रोन्नत अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि तक वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन कर प्रस्तुत करे।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपरोक्त तालिका के क्र०सं०-1 पर अंकित अवर अभियन्ता को प्रोन्नति पर यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा तथा क्र०सं०-2 पर अंकित अवर अभियन्ता को प्रोन्नति पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल अनुमन्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक


संख्या- 4325/का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-04(20)/2000/वाल्सूम-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।

(02)

3. मुख्य अभियन्ता, (परि० एवं अनु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (एम०पी०एस०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी-सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता (परि० एवं अनु०), रिहन्द जल विद्युत गृह, पिपरी-सोनभद्र।
10. अधिशासी अभियन्ता, ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा-सोनभद्र।
11. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी-सोनभद्र।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता (मु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण) / (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
14. सम्बन्धित कार्मिक—
 - (i) श्रीमती इन्दु यादव, अवर अभियन्ता (वि०/याँ०)
 - (ii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद पटेल, अवर अभियन्ता (वि०/याँ०)
15. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


17/11/2022
(मो० अलीम)
उप सचिव (का० एवं प्रशा०)